किस्म मुकदमा – 251 (a) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण सं 162/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.05.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक / एफ-240 / रीडर/2025/476 दिनांक 01.09.2025 से रास्ते हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि आ.न.1057/3 मे सहमति से आ-जा रहे है। हमे न्यायालय द्वारा रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वैकल्पिक रास्ता होने तथा आत्यान्तिक आवश्यकता को सिद्ध नही कर पाने से स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	